विवरणिका

2022–23

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय

भरतपुर (राज.) 321001

Website- www.hte.rajasthan.gov.in\college\ggcbharatpur
Email- rdgirls@gmail.com
Phone - 05644-222774

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय

भरतपुर (राज.) 321001

[NAAC GRADE - B]

विवरणिका

2022–2023

संरक्षक

डॉ॰ धीरेन्द्र देवर्षि

प्राचार्य एवं संरक्षक

श्रीमती मधु शर्मा

अकादमिक प्रभारी

प्रधान सम्पादक

डॉ. लालाशंकर गयावाल

सम्पादक मण्डल

डॉ. शशि प्रभा

डॉ. सरोज

श्री विमलेश सिसोदिया

श्री दीवान सिंह

डॉ. नटवर सिंह

श्रीमती ललिता बैरवा

डॉ॰ धीरेन्द्र देवर्षि

प्राचार्य की कलम से

नवीनतम शैक्षणिक सत्र 2022–23 के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी छात्राओं एवं अभिभावकों का महाविद्यालय में स्वागत है। रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर विगत 52 वर्षो से राजस्थान के पूर्वांचल में महिला शिक्षा की एक अग्रणी संस्था के रूप में ज्ञान विज्ञान के आलोक को प्रसारित कर रहा है। इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों के साथ–साथ स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, समाजशास्त्र तथा हिन्दी की कक्षाएँ संचालित होती हैं।

छात्राओं के लिए विषयों के उच्च स्तरीय अध्यापन एवं शोध हेतु अधिकांश संकाय सदस्य पी॰एच॰डी उपाधिधारक हैं। सदस्य अपने–अपने विषय के शोध कार्य से जुड़े हुये हैं। ज्ञानार्जन हेतु महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर सिस्टम एवं इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। विभिन्न विषयों के प्रायोगिक अध्ययन स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार/यू.जी.सी. एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रयोगशालाओं को समुन्नत करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन निरन्तर प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय में स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किया जाता है। समुचित फर्नीचर व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था युक्त अध्ययन कक्षों के साथ स्वच्छ शीतल पेय जल के लिए आर.ओप्लान्ट, वाटर कूलर तथा उच्च क्षमता के जनरेटर की सुविधा इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। इस महाविद्यालय में एन.एस.एस. रेन्जर टीम, उद्यमिता एवं रोजगार, प्लेसमेंट सैल जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी रखते हुए राष्ट्रीयता, उद्यमशीलता, अनुशासन, विनम्रता एवं समाज सेवा जैसे उत्कृष्ट मूल्यों को व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण एवं सम्वर्द्धन भी आपका नैतिक दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कठिन प्रतिस्पर्धा के इस दौड़

में अपनी अध्ययनशीलता, भावी लक्ष्य के प्रति निरन्तर उद्यमशील एवं सचेत रहते हुए अनुशासन के साथ आप इस संस्था को शैक्षणिक ऊँचाई तक ले जायेंगी। शैक्षणिक–सहशैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर संसाधनों से सम्पन्न महाविद्यालय में अपना चहुँमुखी व्यक्तित्व विकास करने हेतु महाविद्यालय एवं अध्ययन कक्षों में छात्राओं का निरन्तर उपस्थित रहना आवश्यक है।

खेल विभाग में विभिन्न खेलों में छात्राएँ इन्टर यूनिवर्सिटी एवं ऑल इण्ड़िया यूनिवर्सिटी में भाग लेती है। महाविद्यालय की छात्राओं ने लगातार पिछले दो सत्रों में, महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी, भरतपुर में बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती। छात्रा प्रियंका शर्मा ने पिछले सत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भी भाग लिया है। प्लेसमेंट सेल और कैरियर काउन्सिलिंग के अन्तर्गत रोजगार कार्यशाला का आयोजन हुआ। गत सत्र में 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क प्रतियोगिता दक्षता कक्षाएँ एवं सामान्य ज्ञान पुस्तकों का वितरण, शोध अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण हेतु कार्यशाला, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आदि कार्य हुए। इस सत्र में डोनेशन वेस्ड बुक बैंक, आधुनिक सुविधायुक्त केन्टीन का निर्माण, गेट का निर्माण, कार तथा पार्किंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

महाविद्यालय में आयुक्तालय के निर्देशानुसार सत्र 2013–14 से स्नातक (प्रथम वर्ष) तथा 2016–17 से एम.ए. पूर्वार्द्ध एवं वर्ष 2019–20 से एम.ए. उत्तरार्द्ध, स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रमों हेतु "ऑन लाइन" एडमिशन प्रोसेस को लागू किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त नियमावली एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त जानकारी निदेशालय वेब साइट www.hte.rajasthan.gov.in पर एवं महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करते समय इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा प्रवेश पाने के बाद नियमों तथा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आप सभी के मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाओं के साथ।

(डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि)

प्राचार्य
रामेश्वरी देवी कन्या
महाविद्यालय, भरतपुर

महाविद्यालय परिचय

विश्वविख्यात घना पक्षी अभ्यारण्य की स्थली भरतपुर के ऐतिहासिक अजेय लोहागढ़ दुर्ग के मध्य अवस्थित रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान के पूर्वांचल में महिला शिक्षा की एक अग्रणी संस्था है। भरतपुर में उच्च शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 1971 में एक स्नातक कन्या महाविद्यालय के रूप में किशोरी महल परिसर में की गई। महिलाओं में उच्च शिक्षा की बढ़ती जागरूकता के परिणाम–स्वरूप गत वर्षों में महाविद्यालय में छात्राओं के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। सन् 1976 में महाविद्यालय को वर्तमान परिसर में स्थानीय श्री बद्रीप्रसाद सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से निर्मित नवीन भवन में स्थानान्तरित किया गया।

केवल कला संकाय से प्रारंभ हुआ यह महाविद्यालय आज कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों संकायों में श्रेष्ठ गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहा है। सन् 1984 में वाणिज्य संकाय एवं सन् 1986 में विज्ञान संकाय का प्रारंभ हुआ। सन् 1994 में राज्य सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर संस्कृत तथा समाज शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर एवं 2009 से स्नातकोत्तर हिन्दी में भी कक्षायें प्रारंभ हुईं। मुख्य परिसर के अतिरिक्त महाविद्यालय की मनोविज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगशालाएँ, संगीत विभाग, चित्रकला विभाग, पुस्तकालय, स्टूडेंन्ट एडवाईज़री बोर्ड कार्यालय, एन.एस.एस, स्काउट–गाइड रेंजरिंग कार्यालय तथा भण्डार आदि समीपस्थ लक्ष्मी रानी महल में संचालित हैं। महाविद्यालय परिसर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्मी रानी महल के पार्श्व में न्यू ब्लॉक एवं वर्ष 2003 से महाविद्यालय परिसर के दक्षिणी भाग में श्री बद्रीप्रसाद सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से चार अध्ययन कक्षों का ब्लॉक अध्ययन कार्य के लिए उपलब्ध है। मुख्य भवन में पहली मंजिल पर दो नये अध्ययन कक्षों का निर्माण हो चुका है एवं एक लैब व एक हॉल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। महाविद्यालय में रसायनशास्त्र प्रयोगशाला के समीप एक कान्फ्रेंस हॉल भी है।

महाविद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन एवं आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विगत वर्षो में सभी कक्षा–कक्ष में ग्रीन बोर्ड, लेक्चर स्टैण्ड एवं लगभग 10 कक्षा स्थाई फर्नीचर, आदि से समुन्नत है। महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास रूम एवं कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा उपलब्ध है। पेयजल की आपूर्ति के लिए दोनों परिसरों में समुचित वाटर कूलर लगाए गए हैं। क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से अध्ययन–अध्यापन के स्तर में गुणात्मक वृद्धि एवं अनुशासन पर पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। पर्यावरणीय चेतना एवं सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बाग–बगीचों का रखरखाव व सम्पूर्ण साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालय में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट एवं स्टेज छात्राओं के उपयोग हेतु उपलब्ध है।

गत वर्षो में महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से निरन्तर श्रेष्ठ रहे हैं। विगत वर्षों में यहां की छात्राओं ने शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों में राज्य एवं राष्ट्र–स्तरीय अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी लगन, निष्ठा, एकाग्रता, कठिन परिश्रम एवं अनुशासन के द्वारा महाविद्यालय की श्रेष्ठ परम्पराओं को बनाये रखेंगी। **महाविद्यालय में पुस्तकालय कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा छात्राओं के लिए फोटो कॉपी मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। महाविद्यालय के सभी विभागों में इन्टरनेट सुविधा तथा समस्त सुविधाओं युक्त नवीन कम्प्यूटर लैब है।**

प्रवेश नीति–2022–23

महाविद्यालय में समस्त प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति सत्र 2022–23 के अनुरूप ही संचालित होगी। प्रवेश नीति 2022–23 **www.hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

संकाय तथा पाठ्यक्रम

I कला संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

अ – स्नातक प्रथम वर्ष (कला):–

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी

3. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. पर्यावरण अध्ययन

विषयवार सेक्शन का निर्धारण

1.	राजनीति विज्ञान	–	4
2.	समाज शास्त्र	–	4
3.	संस्कृत	–	2
4.	हिन्दी	–	4
5.	गृह विज्ञान	–	2
6.	मनोविज्ञान	–	1
7.	अंग्रेजी	–	1
8.	चित्रकला	–	1
9.	संगीत	–	1
10.	दर्शनशास्त्र	–	1
11.	इतिहास	–	1
12.	अर्थशास्त्र	–	1

नोटः 1. प्रवेशार्थी को वैकल्पिक विषय, संबंधित विषय में निर्धारित स्थानों का ध्यान रखते हुए योग्यता (परसेंटाइल) के आधार पर दिया जाना संभव होगा। वैकल्पिक विषय वर्ग इस प्रकार है–

SUBJECT COMBINATION

	Subject Combination		
S.No.	Group-A	Group-B	Group-C
01	Hindi	Philosophy	Sanskrit
02	English	Political Science	Drawing & Painting
03	Psychology	Economics	Music
04	Home Science	History	Sociology

नोट :–

1. प्रवेशार्थी उपलब्ध विषय संयोजन (समूह) में से वरीयता के आधार पर प्रत्येक विषय समूह से एक विषय का चयन करे।
2. विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त संयोजन (समूहों) में प्राचार्य को संशोधन का अधिकार होगा।
3. इच्छित विषय समूह में स्थान रिक्त होने पर ही विषय समूह में परिवर्तन किया जाना संभव होगा। इस हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में भरे हुए अन्तिम प्रवेश सूची से 15 दिवस के अन्दर ही स्वीकार किये जायेंगे।

4. इस हेतु 200/– निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही छात्रा का विषय समूह परिवर्तित माना जायेगा।

ब – स्नातक द्वितीय वर्ष (कला) : प्रथम वर्ष की भाँति

स – स्नातक तृतीय वर्ष (कला) : द्वितीय वर्ष की भाँति

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में कला संकाय में **संस्कृत, समाजशास्त्र एवं हिन्दी** में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हैं। तीनों ही विषयों की पूर्वार्द्ध कक्षाओं में आयुक्तालय के निर्देशानुसार 60–60 स्थान स्वीकृत हैं।

II वाणिज्य संकाय

अ – स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) :–

अनिवार्य विषय : 1. सामान्य हिन्दी 2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. पर्यावरण अध्ययन 5. बहीखाता

नोट : अनिवार्य विषयों में बहीखाता विषय केवल उन्हीं छात्राओं के लिये अनिवार्य है जिन्होंने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण नहीं की है।

वैकल्पिक विषय :
1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी
2. व्यवसाय प्रशासन
3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

ब–स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) : वैकल्पिक विषय प्रथम वर्ष की भाँति

स–स्नातक तृतीय वर्ष (वाणिज्य):

1. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन
(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) प्रबंध लेखांकन
अथवा
(ii) अग्रिम लेखांकन (Advanced Accountancy)

2. व्यवसाय प्रशासन (Bus. Adm.)

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 क्रियात्मक प्रबन्ध
(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) बीमा
अथवा
(ii) विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध

3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (EAFM)

(अनिवार्य) प्रश्नपत्र–1 ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
(वैकल्पिक) प्रश्नपत्र–2 (i) व्यावसायिक बजटन
अथवा
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त

नोट– वाणिज्य तृतीय वर्ष में वैकल्पिक विषय महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एवं प्रवेश नीति 2022–23 के अनुसार रहेंगे।

III विज्ञान संकाय

अ–स्नातक प्रथम वर्ष (विज्ञान) :–

अनिवार्य विषय : 1 सामान्य हिन्दी 2 सामान्य अंग्रेजी

3 प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

जीव विज्ञान वर्ग	**गणित वर्ग**
1. रसायन शास्त्र	1. भौतिक शास्त्र
2. वनस्पति शास्त्र	2. रसायन शास्त्र
3. प्राणि शास्त्र	3. गणित

ब–स्नातक द्वितीय वर्ष (विज्ञान) – प्रथम वर्ष की भाँति

स–स्नातक तृतीय वर्ष (विज्ञान) – द्वितीय वर्ष की भाँति

सामान्य नोट :

1. सत्र 2022–23 में स्वयंपाठी से द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के अनिवार्य विषय प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं पर्यावरण अध्ययन को भी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि प्रदान नहीं की जावेगी। उक्त विषयों को छात्रा स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में उत्तीर्ण कर सकती है।
2. सभी संकायों के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे।

पी॰एच. डी. (शोध) :–

महाविद्यालय में वर्तमान में पी॰एच.डी. उपाधि हेतु कला वर्ग के राजनीति विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं चित्रकला विषयों में तथा विज्ञान वर्ग के रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, इसके लिए संबंधित विभाग से सम्पर्क करें।

प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें:

महाविद्यालय में नवीन प्रवेश के लिए राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण लागू है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	12 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	21 प्रतिशत
अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	05 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त दिव्यांग आवेदकों हेतु प्रत्येक श्रेणी में 10 प्रतिशत स्थान क्षैतिजवर्ती रूप से आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ व बोनस अंक आदि का प्रावधान भी है जिसका विस्तृत वर्णन विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा विभाग की प्रवेश नीति में देख सकते हैं। नवीन प्रवेश फॉर्म भरते समय 'ऑनलाइन एप्लिकेशन' में आपको इन प्रावधानों का लाभ दिए जाने का पूर्ण अवसर दिया जाता है।

प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

01. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के पात्रता नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही दिया जाएगा, जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। (प्रवेश नीति 2022–2023 संलग्न है)
02. स्नातक (प्रथम वर्ष) कक्षाओं में प्रवेश चाहने वाली प्रत्येक छात्रा को विभिन्न संकायों के लिए पृथक–पृथक ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने होंगे, आवेदन फॉर्म एक संकाय से दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। इस हेतु अलग–अलग ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरें।
03. स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं में प्रवेश की इच्छुक छात्रा को अलग–अलग विषय के लिए पृथक–पृथक ऑन लाइन आवेदन पत्र देने होंगे। प्रवेश फॉर्म का एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण नहीं होगा।
04. विद्यार्थी को कक्षा के जिस वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
05. प्रवेश प्रक्रिया में चालान जमा करते समय महाविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्रा को अपने परिचय–पत्र की पूर्ति करनी है। यदि परिचय–पत्र खो जाये तो दण्ड–स्वरूप शुल्क सूची के अनुसार डुप्लीकेट परिचय–पत्र बनवाने की राशि जमा कर नया परिचय पत्र बनवाना होगा।
06. परिचय–पत्र के अभाव में पुस्तकालय एवं अन्य महाविद्यालय सुविधाओं से आप वंचित रह जायेंगी। साईकिल, स्कूटर/मोपेड नम्बर, परिचय–पत्र में अवश्य लिखें।
07. फीस की रसीद को सुरक्षित रखिए। यही आपके नियमित छात्रा होने का प्रमाण है।
08. प्रवेश के योग्य छात्राओं की सूची वरीयता क्रम में सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। प्रवेश हेतु योग्य घोषित होने पर निर्धारित अवधि में शुल्क जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वतः रद्द हो जावेगा। प्रवेश की सूचना एस.एम.एस. द्वारा ऑन लाइन प्रवेश वालो को दी जायेगी। निर्धारित तिथि पर शुल्क जमा कराकर प्रवेश सुनिश्चित करें अन्यथा मेरिट लिस्ट में से नाम काटकर वरीयताक्रमानुसार अगली अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
09. एक मास तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर उपस्थिति पंजिका से छात्रा का नाम काट दिया जाएगा।
10. प्राचार्य बिना कारण बताये छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
11. प्रवेश नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किए गये परिवर्तन ही मान्य होंगे।
12. प्रवेश संबंधी सूचनायें समय–समय निदेशालय वेब साइट पर आवश्यक रूप से देखें अगर समय निकल जाने जाने पर प्रवेश रद्द हो जाता है, तो छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगी।

13. यदि कोई छात्रा महाविद्यालय की सामग्री की तोड़ फोड़, नुकसान, या चोरी करती हुई पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
14. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य करने वाली छात्रा का प्रवेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और उसके चरित्र प्रमाण–पत्र में यह तथ्य लिखा जाएगा।
15. प्राचार्य, उपाचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य व कर्मचारियों तथा अन्य छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
16. यदि कोई प्रवेश नियम के विरुद्ध पाया गया या छात्रा द्वारा प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र जाली पाया गया तो प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा और महाविद्यालय नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेगा तथा प्रमाण पत्र को न्यायिक जांच हेतु भेज सकेगा।
17. निम्नलिखित कार्यों हेतु निम्नांकित अधिकारियों से मिलें ।
    संबंधित प्रभारी : छात्रवृत्ति, छात्र सहायता कोष, शुल्क मुक्ति, रेल्वे–बस कन्सेशन आदि।
    संबंधित प्रभारी : प्रवेश, समय सारिणी, चरित्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों के अग्रेषण आदि कार्य हेतु ।
18. किसी भी कक्षा में प्रवेश की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी।
19. प्रवेश योग्य छात्राओं की सूची सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। सूची की एक–एक प्रति सम्बन्धित संकाय लिपिक एवं कार्यालय में रहेगी जहाँ छात्रा को अपने प्रवेश की जानकारी मिल सकती है।
20. स्नातक पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को पात्रता शर्तें पूरी करने पर द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में पुनः आवेदन नहीं करना पड़ेगा तथा सत्र 2022–23 में गत सत्र के नियमित विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार निर्धारित अंतिम तिथि तक सत्र का शुल्क ई–मित्र पर जमा कराना होगा तभी अन्य पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा।
21. पिता के शारीरिक रूप से असमर्थ होने तथा आजीविका विहीन होने की स्थिति में जो छात्राऐं फीस आदि की रियायत प्राप्त करना चाहती हैं वे उक्त तथ्य के समर्थन में प्रथम श्रेणी दण्डनायक का प्रमाण–पत्र अपने प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
22. प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश तब रोक दिया जाएगा जब स्वीकृत स्थान भर जावेंगे।
23. प्रवेश सूचना – महाविद्यालय सूचना पट्ट एवं वेब साइट पर राज्य सरकार एवं निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगायी जायेगी, प्रवेशार्थी वेब साइट **www.hte.rajasthan.gov.in** एवं सूचना पट्ट अवश्य देखें। सूचना के अभाव में प्रवेश निरस्त होने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रवेशार्थी का होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि की जानकारी छात्राओं को स्वयं ही प्राप्त करनी है इसके लिये आयुक्तालय की वेब साइट आवश्यक रूप से देखें।
24. प्रवेश की सुविधा के लिए निश्चित तिथि तक अपना आवेदन नियमानुसार करें।

25. प्रवेश के योग्य छात्राओं की सूची वेब साईट एवं सूचना पट्ट पर लगाये जाने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेशार्थी अपना शुल्क जमा करायेंगे अन्यथा प्रवेश रद्द हो जायेगा। शुल्क जमा कराकर शुल्क रसीद व प्रवेश स्वीकृत पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इन्हें संभालकर रखें।
26. ज्ञातव्य है कि विवरणिका में दिये गये दिशा निर्देश महाविद्यालय की कार्य व्यवस्था संचालन हेतु मान्य है। किसी न्यायिक विवाद हेतु इन्हें विधि के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती।
27. प्रवेश आवेदन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि तथा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विलम्ब शुल्क प्रथा समाप्त कर दी गयी है।
28. प्रथम बार प्रवेश तब तक अस्थाई समझा जायेगा जब तक महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में नामांकन नहीं हो जाता है।
29. प्रवेश पत्र मे ंदिया गया आपका पता यदि किसी कारणवश बदलता है, तो इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय कार्यालय में सरंक्षक के हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें।
30. अपनी मूल अंक तालिका एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियाँ सत्यापित करवाकर पर्याप्त मात्रा में रख लेवें। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने शैक्षणिक शाखा से मूल अंकतालिका एवं मूल प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात पुनः शीघ्र निकलवाना संभव नहीं होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु आयुक्तालय वेब साइट www.dceapp.rajasthan.gov.in पर दिये गये नियमों की पालना आवश्यक रूप से करें

प्रवेश हेतु अयोग्य छात्रायें

1. वे छात्राएँ जो विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हों।
2. वे छात्रायें जिन्होने कॉलेज में अनुशासनहीनता दिखाई हो, ऐसे कार्यो में भाग लिया हो जो कानूनी दृष्टि से दण्डनीय हो, ऐसा व्यवहार किया जो शैक्षणिक वातावरण के विकास में बाधक हो, विगत वर्षो में प्राचार्य, उपाचार्य व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली–गलोच की हो।
3. ऐसी छात्रा जिनके विरूद्ध एफ.आई.आर. अथवा पुलिस में कोई शिकायत महाविद्यालय द्वारा दर्ज कराई गई हो।
4. ऐसी छात्रायें जिन्होने धोखा–धडी की हो, जालसाजी के कार्य में लिप्त रही हो या चोरी आदि की हो।
5. निम्न प्रकार की छात्रायें कॉलेज में प्रवेश पाने बावजूद विश्वविद्यालय महाविद्यालय परीक्षाओं हेतु अयोग्य मानी जायेगी।
    - सत्र के अन्त में अनिवार्य उपस्थिति पूरी न करने वाली छात्रायें
    - अनुशासन हीनता के कारण प्राचार्य द्वारा दण्डित छात्रायें।

6. प्राचार्य कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करना, जोर से बोलना, अनुशासन हीनता प्रदर्शित करना, कार्य में बाधा उत्पन्न करना दुर्व्यवहार की संज्ञा में आता है।
7. अजा/जजा के प्रमाण पत्र का दुरूपयोग करने वाली छात्राये।
8. प्रवेश हेतु https://hte.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट पर Admission मेन्यू में Department of College Education चुनें या ई–मित्र कि–योस्क पर जाएं।
9. https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर लॉगइन कर G2C पेज पर जाएं और DCEAPP के माध्यम से आवेदन करें।

अनुशासन

कॉलेज प्रशासन को सभी विद्यार्थियों पर अनुशासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है। यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार का निंदनीय आचरण अथवा अवैध कार्य करता पाया जाता है जो प्राचार्य की दृष्टि में कॉलेज की छवि अथवा वातावरण को दूषित करता है तो उसको दण्डित किया जा सकता है। दण्ड विधान में जुर्माना एवं अस्थाई या स्थाई रूप से निष्कासन तक की व्यवस्था है। दुराचरण अथवा आदेशों की अवज्ञा करने वाली छात्राओं को कक्षों में बैठने से, परीक्षा देने से तथा अगले वर्ष कॉलेज में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। अवांछित व्यवहार के परिणाम स्वरूप चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र में तदनुसार इन्द्राज किया जा सकता है।

माता–पिता अथवा अभिभावक आवश्यक रूप अपने वार्ड की कॉलेज में उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति तथा आचरण सम्बन्धी अन्य बातों की समय–समय पर जानकारी लेते रहें। इसके लिए कॉलेज में आकर प्राचार्य या आचार्यों से मिल सकते हैं।

छात्रा की महाविद्यालय उपस्थिति आयुक्तालय से प्राप्त निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम होने का दायित्व उसके स्वयं एवं माता–पिता/ अभिभावक का होगा।

छात्रसंघ चुनाव के दौरान छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर की दीवारों को नष्ट करना रंगना–पोतना पोस्टर लगाना आदि वर्जित है। साथ ही प्रतिद्वन्दी प्रत्याशी के प्रति की गई अभद्रता को अपराध समझा जायेगा।

छात्राओं को अपना रिक्त समय अनिवार्य रूप से अध्ययन कक्षों, पुस्तकालय एवं खेल–कूद में बिताना चाहियें, बरामदों में नहीं। महाविद्यालय में आयोजित प्रत्येक सभा एवं समारोह में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

उपस्थिति के नियम अन्य नियमों की भाँति बड़े महत्त्वपूर्ण है। छात्राओं व उनके अभिभावकों को निम्नांकित नियम सदा ध्यान में रखने चाहियें। इन नियमों का पालन न करने पर छात्रा विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में शामिल नहीं हो सकेगी।

1. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश की अनुमति लेने के पूर्व छात्राओं की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
2. महाविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में जो छात्रायें एन.सी.सी. खेल–कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय तथा अन्तर्विश्वविद्यालय युवा समारोह (विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित) में भाग लेगी। उन्हे उपस्थिति का लाभ दिया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत किये जाने चाहियें।
3. वे छात्रायें जिन्होने महाविद्यालय में प्रवेश लिया उनसे नियमित रहने की अपेक्षा की जाती है। उनकी उपस्थिति की गणना अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी।
4. विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार जिन छात्राओं की उपस्थिति कम पायी जायेगी उन्हें स्वयंपाठी छात्रा के रूप में परीक्षा देनी होगी। स्वयंपाठी (पूर्व छात्रा) अगले वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकेगी यदि स्थान रिक्त हो एवं आयुक्तालय द्वारा इस हेतु अनुमति प्रदान की गई हो।
5. छात्राओं अथवा अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे सम्बन्धित सह आचार्य, सहायक आचार्य से तथा महाविद्यालय कार्यालय में समय–समय पर पूछताछ करके उपस्थिति तथा प्रगति के विषय में सूचना प्राप्त करते रहे।
6. एक माह तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम महाविद्यालय रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

विद्यार्थियों की परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया

प्रत्येक सत्र के अन्त में वार्षिक परीक्षा महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा आयोजित की जाती है। इस वार्षिक परीक्षा का केन्द्र महाविद्यालय में होता है तथा इसका टाइम टेबल महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा घोषित किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों की सूचना महाविद्यालय तथा सम्बन्धित विभागों के सूचना पट्ट पर लगाई जाती है।

सत्रान्त की वार्षिक परीक्षाओं के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर तीन टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। ये क्रमशः दशहरा अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा प्रिपरेशन लीव के पूर्व आयोजित किए जाते हैं इनमें से प्रथम दो टेस्ट विषय या शिक्षकवार, नियमित टाइम टेबल के कालांशों में ही आयोजित किए जाते हैं तथा तीसरा टेस्ट विश्वविद्यालय की परीक्षा के पैटर्न पर आयोजित किया जाता है।

इन महाविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को उनकी कमजोरियों से अवगत कराना तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु तैयार करना है। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के निहितार्थ को समझते हुए इनमें आवश्यक रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

विशेष :

"महाविद्यालय में कोई कुटिल कार्य करने पर प्राचार्य छात्रा को निष्कासित कर सकते हैं। कॉलेज की सम्पत्ति को कोई हानि पहुँचाना, झगड़ा करना, साईकिल स्टैण्ड पर अन्य छात्राओं की साईकिल चोरी करना या नुकसान पहुँचाना, पुस्तकालय से बिना इश्यू कराये बुक ले जाना, जालसाजी करना आदि कुटिल कार्य के अन्तर्गत आते हैं।"

सत्र 2022–2023 में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्वीकृत सेक्शन एवं छात्रा संख्या

कक्षा	स्वीकृत सेक्शन	स्वीकृत कुल छात्र संख्या
स्नातक प्रथम वर्ष कला	9	720
स्नातक प्रथम वर्ष जीव विज्ञान समूह	2	140
स्नातक प्रथम वर्ष गणित समूह	2	140
स्नातक प्रथम वर्ष वाणिज्य समूह	3	240
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध संस्कृत	1	60
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध हिन्दी	1	60
स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्वार्द्ध समाजशास्त्र	1	60

प्रवेश में आरक्षण सम्बंधी लाभ राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली के अनुसार देय होगा।

छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं की कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर ये छात्रवृत्ति की पात्र नहीं होंगी और छात्रा एक सत्र में केवल एक ही छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकती है। छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु छात्रायें छात्रवृत्ति शाखा में सम्बन्धित छात्रवृत्ति अधिकारियों एवं लिपिक से सम्पर्क कर सकती हैं।

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति, जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेश पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

(2.) निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रवेश नीति 2021–22 के ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सत्र सारिणी, सह शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति कलैण्डर में निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों के अनुसार देय होगीं–

1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की योग्यता सूची में आये छात्रों को स्नातक कक्षा के अध्ययन हेतु तथा स्नातक कक्षाओं में विश्वविद्यालय की योग्यता सूची

में आये छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु यह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांक लाना अनिवार्य है। स्नातक स्तर की छात्रवृत्ति के लिए छात्र के माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000/– से अधिक न हो तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति हेतु आय की कोई सीमा नहीं है।

2. **आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाली छात्राओं को देय। छात्रवृत्ति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा मैरिट के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। आगामी कक्षा में नवीनीकरण हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं।

3. **अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक तथा माता–पिता की कुल वार्षिक आय 25000/– से कम होने पर छात्र इस छात्रवृत्ति हेतु अपने आवेदन–पत्र निदेशक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से भिजवायें।

4. **महिला योग्यता छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षा या विश्वविद्यालय की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति देय होगी बशर्ते उनके माता–पिता की आय एक लाख रूपये से कम हो। नवीनीकरण हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक अपेक्षित हैं।

5. **देवनारायण योजनान्तर्गत :** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2020–21 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली एसबीसी की वे छात्रायें जो राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, स्कूटी के लिये आवेदन कर सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूटियों की मैरिट लिस्ट जारी होने पर शेष छात्राओं को दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की जाती है।

6. **मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :** कक्षा 09, 10, 11, 12 में राजकीय विद्यालय से नियमित अध्ययनरत छात्रा जिसने सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2021–22 में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा अभिभावक आयकर दाता नहीं हों , स्कूटी के लिये आवेदन कर सकतीं हैं।

7. **स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति :** राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों एवं पोतों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय होगी। बशर्ते छात्र के माता–पिता की कुल वार्षिक आय 14,400/– रूपये से अधिक न हो।

8. **मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति :** राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारी के महाविद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए देय होगी, आय सीमा कुछ नहीं। छात्र के उत्तीर्ण होने पर यह छात्रवृत्ति निरन्तर मिलती रहेगी।

9. **उर्दू छात्रवृत्ति :** केवल राजस्थान के मूल निवासी उन छात्रों को देय, जिन्होंने स्नातक स्तर पर उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा स्नातकोत्तर कक्षा में उर्दू विषय लेकर द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो।

10. **भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृत अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों को एवं विधवाओं को देय छात्रवृत्ति :** महाविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रदान की जाती है।

11. **ललित कला छात्रवृत्ति (1) :** राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर से मध्यमाविशारद में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को देय बशर्ते उनके माता–पिता आयकर नहीं देते हों।

12. **ललित कला छात्रवृत्ति (2)** : राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाउण्डेशन कोर्स में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर देय।

13. **पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति :** सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर देय। माता–पिता आयकर दाता न हों।

14. **मुख्य मंत्री छात्रवृत्ति :** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा 2018–19 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रायें, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, को देय है।

15. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली की छात्रवृत्तिः** सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा, स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में संस्कृत विषय में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रायें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56–57 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058 में आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक छात्रायें सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करें।

(3.) अन्य छात्रवृतियों एवं प्रोत्साहन राशि (विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियाँ एवं प्रोत्साहन राशि)

1. **सुमेधा छात्रवृति** – निर्धन एवं मेधावी सीनियर सैकण्डरी 70 :
2. **जिन्दल फाउण्डेशन** – आय सीमा 2 लाख सीनियर सैकण्डरी 55 :
3. **माड़ा कलस्टर प्रोत्साहन राशि** – जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
   (केवल एस. टी. महिला, माड़ा द्वारा प्रदत्त।
   एवं बिखरे क्षेत्र, केवल भरतपुर जिला)
4. **एम. एच. आर. डी. छात्रवृत्ति–** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा वर्गवार सीनियर सेकेण्ड्री मेरिट के आधार पर ।
5. **इन्सपायर छात्रवृत्ति–** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विज्ञान वर्ग की छात्राओं को ही दी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा देय अन्य छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जायेंगी।

छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति संबंधी मार्गदर्शिका

छात्राऐं नूतन (फ्रेश) अथवा नवीनीकरण (रिन्यूवल) छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित आवेदन–पत्र में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाते ही शिक्षण संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगी। ***आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण तथा सुस्पष्ट होना चाहिए*** जिसमें निम्न बातें प्रमुख हैं :–

उक्त श्रेणी की जिन छात्राओं ने सीनियर सैकण्डरी परीक्षा पास की है अथवा जिन्होंने एक स्तर का कोर्स पूरा किया है जैसे इन्टरमीडियेट आदि आगे अध्ययन हेतु स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य में प्रवेश लेती हैं,

उन्हें नूतन के आवेदन पत्र भरने होंगे तथा जिन छात्राओं ने इस महाविद्यालय से या अन्य किसी महाविद्यालय से प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त की है उन्हें नवीनीकरण के फार्म भरने होंगे।

शुल्क सूची
महाविद्यालय वेब साईट* www.hte.rajasthan.gov.in /college/govt. college *पर उपलब्ध है, इस हेतु वेब साईट का अवलोकन करें।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना पत्रांक प.4 (7) वित्त/राजस्व/2002 दिनांक 11.12.02 द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययनरत सभी विद्याथिर्यों का एक वर्ष के लिए बीमा किया जाता है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित राशि का भुगतान विद्यार्थी की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर किया जाता है। महाविद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों के लिए योजना का नाम 'नचिकेता' रखा गया है। नचिकेता में प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी बीमाधन रू. 02 लाख के लिए प्रीमियम राशि रू. 20/– प्रति छात्र प्रति वर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि शिक्षण संस्था में 500 से अधिक छात्र अध्ययनरत है तो प्रीमियम राशि रूं. 50/– प्रति छात्र प्रति वर्ष होगी।

नचिकेता बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण आयी चोटों के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी एंव प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर अथवा चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र, दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर अधिकतम राशि रू. 2000/– बीमाधन के अतिरिक्त लाभ देय होगा। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दावा प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा जिसमें विमुक्ति पत्र पर संबंधित क्षेत्र के एम.एल.ए/प्रधान/मेयर/संरपच/पार्षद/कार्यकारी अधिकारी (नगरपालिका)/चेयरमैन/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। दावे का निस्तारण संबंधित जिला अधिकारी राजकीय शिक्षण संस्थाओं के छात्र/छात्राओं के उत्पन्न दावों की प्रक्रिया के अनुसार ही तय करेगा। इस हेतु समस्त उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग को रू. 02 लाख तक के भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है। उपर्युक्त बीमा योजना सन्न 2006–07 से महाविद्यालय में लागू की जा चुकी है।

छात्रा सहायता कोष :

योग्य एवं अभावग्रस्त छात्राओं को इस सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर एवं इच्छुक छात्राओं को माह अगस्त–सितम्बर में कार्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

विद्यार्थी परामर्श ब्यूरो (SAB) :

कैरियर काउन्सिंलिंग एवं प्लेसमेंट सेल छात्राएँ अपने कैरियर,एवं रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएँ विद्यार्थी परामर्श ब्यूरो कैरियर काउन्सिंलिंग एवं प्लेसमेंट सेल से प्राप्त कर सकती हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :

पुस्तकालय प्रत्येक संस्थान का हृदय–प्राण होता है, यह समस्त ज्ञानार्जन का स्रोत है। यह शिक्षा प्राप्ति, शोध, चिन्तन एवं निर्णय शक्ति के विकास और अभिरुचियों को विकसित करने, सूचना एकत्र करने, आत्मज्ञान एवं मनोरंजन आदि के लिए सक्षम एवं रचनात्मक साधन है। वर्तमान में इस पुस्तकालय में लगभग 37374 पुस्तकें उपलब्ध हैं। लगभग 35 पत्रिकायें तथा 09 समाचार पत्र नियमित रूप से मंगाये जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न विषयों के 21 पत्रिकायें (जर्नल्स) भी मंगाये जाते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में जाकर करें । वर्तमान में पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है तथा पुस्तकालय INFLIBNET द्वारा जुड़ा हुआ है जिससे छात्रायें, शोधार्थी एवं संकाय सदस्यगण अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तक, मैगजीन तथा जर्नल्स आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यता :– प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेशोपरान्त पुस्तकालय का सदस्य बनाया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने हेतु दो सदस्यता–पत्र प्रदान किये जाते हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी 15 दिन के लिए दो पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। निश्चित तिथि पर पुस्तकें न लौटाने पर नियमानुसार दण्डस्वरूप पैसे जमा कराने होंगे, खोई पुस्तक का दुगना मूल्य देय होगा।

पुस्तकालय उपयोग प्रणाली एवं निर्देश :

पुस्तकालय में खुली आलमारी प्रणाली (open shelf system) है, जिससे विद्यार्थियों को पुस्तक चयन कर प्राप्त करना सुविधाजनक होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों को सावधानी से उठायें और रखें। पुस्तक को खराब करना, रेखांकित करना, पन्नों को फाड़ना एवं पठन सामग्री की चोरी करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने पर अर्थदण्ड से लेकर महाविद्यालय से निष्कासित तक किया जा सकता है। पुस्तकालय के भीतर निजी पुस्तकों को ले जाना वर्जित है तथा वहां पूर्ण शांति का वातावरण बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। सम्पूर्ण पुस्तकालय सी.सी.टी.वी. कैमरों से सुसज्जित है।

बुक बैंक (Book Bank):

पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों का एक पृथक् बुक बैंक छात्राओं के वार्षिक सहायता शुल्क एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से स्थापित किया गया है। इस बैंक से पूरे सत्र के लिए पुस्तक निर्धन एवं योग्य छात्राओं को प्रदान की जाती है। इस बैंक की सफलता हेतु प्राप्त पुस्तकों को छात्राओं द्वारा सही स्थिति में रखना आवश्यक है।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश की अनुपालना में युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ की मानिटरिंग में निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
2. रोवर एण्ड रेंजर्स (स्काउट)
3. युवा विकास केन्द्र/महिला अध्ययन प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार क्लब/मतदाता क्लब।

इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली सभी छात्राओं को निम्नलिखित चार कार्यक्रमों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

एन. एस. एस. का गाँधी शताब्दी वर्ष में शुभारम्भ राष्ट्रपिता को उनके युवाओं से अटूट विश्वास की श्रद्वांजलि का स्वरूप है। अपने शैशव से यौवन की यात्रा में एन. एस. एस. ने शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनायें क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरुकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रंग में एन. एस. एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुडकर छात्राऐं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकती हैं तथा इस प्रकार समाज में एक अनुक्रियाशील नागरिक बन सकती हैं।

एन. एस. एस. में छात्राओं को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रूचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों पर पुनर्विन्यास, वाद–विवाद, आशुभाषण, प्रश्न–मंच, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय/बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा तीन एक दिवसीय शिविर एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर (दो साल में एक) में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करने वाले स्वयंसेवक को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है ।

इस महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन. एस. एस. की 4 इकाईयां स्वीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक इकाई में सौ छात्रायें पंजीकृत की जाती हैं।

एन. एस. एस. गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है परन्तु प्रत्येक इच्छुक छात्रा को एक आवेदन–पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन. एस. एस. कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ष में चयन निर्धारित नियमों के अनुसार रिक्त स्थानों के लिये किया जाता है।

कोविड–19 के काल में स्वयंसेविकाओं द्वारा वीडियो बनाकर कोरोना महामारी के प्रति व्हाटसएप्प ग्रुप के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया गया। इसी मध्य में छात्राओं के लिए ऑनलाईन क्विज कम्पटीशन कराया गया और अन्य कार्य वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार सम्पन्न कराये गये।

2. एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB):

एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत दो राज्यों की संस्कृति को जोडा जाता है। राजस्थान की संस्कृति को असम की संस्कृति के साथ जोडा गया है। इसके अन्तर्गत महाविद्यालय की छात्राओं को असम की भाषा, संस्कृति, लोकगीत, लोकनृत्य, रहन–सहन, खान–पान आदि की जानकारी दी गयी। छात्राओं द्वारा असमिया व्यंजन बनाये गये। असमिया गीत का गायन किया गया। छात्राओं को असमिया भाषा की फिल्म ''मी एण्ड माई सिस्टर'' दिखाई गयी। प्रत्येक माह की 22 तारीख को कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। असमिया भाषा में राष्ट्रीय एकता की शपथ छात्राओं को दिलवायी गयी। छात्राओं द्वारा सामान्य हिन्दी वाक्यों को असमिया भाषा में अनुवादित कर पोस्टर भी बनाए गये।

3. स्काउट–गाइड (रेंजरिंग)

युवा वर्ग को सुसंस्कारित, सेवा भावी, स्वावलम्बी एवं आत्मानुशासी बनाने में रेंजरिंग संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से छात्राओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। प्रतिभागी/विजेता को राष्ट्रपति अवार्ड, उपराष्ट्रपति शील्ड, राज्यस्तरीय पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी एवं कांफ्रेस में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

4. युवा विकास केन्द्र/महिला अध्ययन प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार क्लब/मतदाता क्लब

महाविद्यालय में युवा विकास केन्द्र/ महिला अध्ययन प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार क्लब की गतिविधियाँ संचालित हैं। छात्रायें युवा विकास केन्द्र (YDC) के माध्यम से व्यक्तित्व विकास द्वारा रोजगार के अच्छे अवसर तलाश सकती हैं। ''श्रेयस'' के अन्तर्गत रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं का पंजीयन किया गया है।

महिला अध्ययन प्रकोष्ठ की स्थापना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सभी नियमित छात्रायें इस प्रकोष्ठ की सदस्या हैं। उन्हें प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

मानव अधिकार से सम्बन्धित जानकारी एवं कार्यक्रम मानव अधिकार क्लब द्वारा आयोजित किय जाते हैं।

मतदाता क्लब के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अन्य गतिविधियाँ

खेल–कूद (Games & Sports)

खेल–कूद स्वास्थ्य और मनोरंजन दोनों की दृष्टि से प्रत्येक छात्रा के लिए आवश्यक है। ऐसी छात्रायें जो अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग नहीं लेती उनके लिए खेल–कूद में भाग लेना अनिवार्य है। महाविद्यालय में बैडमिन्टन, खो–खो, कबड्डी, एथेलेटिक्स, कुश्ती, वालीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल आदि खेलों की व्यवस्था है। छात्राओं की खेल–कूद सम्बन्धी प्रतिभा की अभिव्यक्ति तथा अधिकाधिक छात्राओं को अवसर देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में अन्तर्कक्षा वार्षिक खेल–कूद एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल परिषद् द्वारा किया जाता है तथा विजेता कक्षा को चल वैजयन्ती (शील्ड) प्रदान की जाती है। समय–समय पर विशेष मैचों का आयोजन किया जाता है। अर्न्तमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगभग आठ–दस टीमें भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा आयोजित अर्जुन दृष्टि संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये टीमें भेजी जाती हैं। महाविद्यालय की छात्रायें सत्र 2019–20 में कुश्ती, हॉकी तथा एथेलेक्टिस में विजेता भी रहीं।

योजना मंच

देश की आर्थिक योजनाओं की जानकारी एवं उसमें वांछित सक्रिय सहयोग देने के लिए योजना मंच इकाई महाविद्यालय में चलती है।

इको क्लब

इको क्लब से जुड़कर पर्यावरण के संरक्षण एवं सतत् विकास के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। छात्राएँ इस क्लब की गतिविधियों में भाग लेकर इनका लाभ उठा सकती हैं।

उद्यमिता जागृति शिविर

महाविद्यालय की तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा प्रायोजित उद्यमिता जागृति शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। शिविर के माध्यम से छात्राओं को स्वरोजगार हेतु विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन विगत वर्षों में दिया जाता रहा है ।

छात्रासंघ (Student Union)

छात्रासंघ का गठन राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर ही किया जावेगा। इसके अन्तर्गत छात्राओं द्वारा विभिन्न शैक्षणिक, शिक्षणेत्तर एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का अनुभव देने के लिए छात्रसंघ गठित करने का प्रावधान है। राजकीय महाविद्यालयों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार छात्रसंघ चुनाव करवाए जाते हैं। छात्रसंघ का कार्यकाल केवल एक शैक्षणिक सत्र का होता है। छात्रसंघ के चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश से गठित लिंगदोह

कमेटी की अनुशंसा के अनुसार करवाए जाते हैं। ऐसे चुनावों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश उच्चशिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी किये जाते हैं। लिगंदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लघंन करने पर कार्यवाही किये जा सकने का प्रावधान है।

संकाय परिषद् :

प्रत्येक संकाय की एक परिषद होगी यथा :– **कला परिषद्, वाणिज्य परिषद एवं विज्ञान परिषद्** एवं जिनके सदस्य सम्बन्धित संकाय में प्रवेशित सभी छात्राएँ होंगी। महाविद्यालय में संचालित कला परिषद् के अंतर्गत विस्तार भाषण, व्याख्यान, पत्र–वाचन, परिचर्चा, श्लोक पाठ, संस्कृत, गद्य पाठ, संस्कृत सूक्ति लेखन, भाषण, कविता लेखन, प्रश्न मंच, रंगोली, मांडना, चित्रयोजना आदि सृजनात्मक प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं। इसी प्रकार विज्ञान परिषद् में भाषण प्रतियोगिता, चार्ट प्रतियोगिता एवं समूह चर्चा तथा वाणिज्य परिषद् के अंतर्गत पत्रवाचन एवं नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

इन परिषदों के अन्तर्गत संकाय विशेष की प्रासंगिक प्रतियोगिताएँ (वाद–विवाद, पत्र वाचन, सामान्य ज्ञान, प्रश्न–मंच, कार्टून, चार्ट बनाना, आशुभाषण, निबन्ध, माडल बनाना) शैक्षणिक भ्रमण एवं विस्तार भाषण आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

उपस्थिति–

देश में उच्च शिक्षा के मानदंड निर्धारित करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित बनाये गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार नियमित रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी महाविद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहें। उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होने पर विद्यार्थी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

संकाय परिषद् का गठन

	कला परिषद्	**विज्ञान परिषद्**	**वाणिज्य परिषद्**
अध्यक्ष	पूर्वार्द्ध की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त	स्नातक द्वितीय वर्ष, (गणित/जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
उपाध्यक्ष	स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष, (गणित/जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
महासचिव	स्नातक द्वितीय वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष, (गणित/जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा
संयुक्त सचिव	स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष, (गणित/जीव विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा	स्नातक प्रथम वर्ष (वाणिज्य) में द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा

विज्ञान परिषद् में अध्यक्ष एक वर्ग में से हो जावें तो उपाध्यक्ष दूसरे वर्ग में से मनोनीत होगा। इसी प्रकार महासचिव एक वर्ग में से हो तो संयुक्त सचिव दूसरे वर्ग में से मनोनीत होगा।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा पत्रिका **''प्रेरणा''** प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से महाविद्यालय की छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। सृजनात्मक रूचि रखने वालों को चाहिए कि पत्रिका के लिए स्वरचित रचनायें देकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करें।

पार्किंग स्टैण्ड

महाविद्यालय में साईकिल/स्कूटर आदि के पार्किंग सुविधा सुविधा उपलब्ध है। इनका प्रयोग करने वाली छात्रायें अपने वाहन इस स्टैण्ड पर ही रखें। टोकन दिखाने पर ही पार्किंग स्टैण्ड का उपयोग किया जा सकेगा। अन्यत्र रखने पर छात्रा स्वयं ही जिम्मेदार होगी।

संकाय सदस्य

प्राचार्य	**1**	डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि
उपाचार्य	**1**	रिक्त
कला संकाय		
हिन्दी	**1**	डॉ. सीता राम लहरी
	2	डॉ. कविता आचार्य
	3	डॉ. शशिप्रभा
	4	डॉ. अनीता मीना
	5	**रिक्त**
	6	**रिक्त**
संस्कृत	**1**	डॉ. लाला शंकर गयावाल
	2	डॉ. मधु अग्रवाल
	3	डॉ. सरोज
	4	श्री दीवान सिंह
	5	**रिक्त**
	6	**रिक्त**
समाजशास्त्र	**1**	डॉ. लक्ष्मी गुप्ता
	2	श्री मानसिंह मीना
	3	**रिक्त**
	4	**रिक्त**
	5	**रिक्त**
चित्रकला	**1**	डॉ. रमेश चन्द वर्मा
	2	**रिक्त**
अर्थशास्त्र	**1**	डॉ. रजनी वशिष्ठ
अंग्रेजी	**1**	श्रीमती ललिता बैरवा
	2	**रिक्त**
	3	**रिक्त**
इतिहास	**1**	श्रीमती सुमन गोयल
संगीत	**1**	**रिक्त**
दर्शनशास्त्र	**1**	डॉ. राज्य श्री यादव (प्रतिनियुक्ति पर)
गृह विज्ञान	**1**	श्रीमती मधु शर्मा
	2	श्रीमती साधना शर्मा
	3	**रिक्त**
	4	**रिक्त**

	5	**रिक्त**
मनोविज्ञान	1	डॉ. मीनू अरविन्द अग्रवाल
	2	**रिक्त**
	3	**रिक्त**
राजनीति शास्त्र	1	डॉ. निशा गोयल
	2	डॉ. अलका गोयल
	3	श्रीमती दीप्ति अग्रवाल
वाणिज्य संकाय		
लेखा एवं सांख्यिकी ABST	1	श्री विमलेश सिसोदिया
	2	**रिक्त**
व्यवसाय प्रशासन Bus. Adm.	1	**रिक्त**
	2	**रिक्त**
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EAFM	1	**रिक्त**
विज्ञान संकाय		
वनस्पति शास्त्र	1	डॉ. करूणा गौर
	2	डॉ. कृति शर्मा
	3	रिक्त
	4	रिक्त
प्राणी शास्त्र	1	डॉ. अंजू पाठक
	2	डॉ. कमलेश
	3	डॉ. नटवर सिंह
	4	रिक्त
रसायन शास्त्र	1	डॉ. शिल्पीदीप माथुर
	2	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
	3	श्री जगदीश कुमार
	4	रिक्त
	5	रिक्त
गणित	1	श्रीमती अंजना कौल
	2	रिक्त
भौतिक शास्त्र	1	डॉ. के.के. गुप्ता
	2	रिक्त
खेल विभाग		
खेल प्रभारी	1	**रिक्त**
पुस्तकालय विभाग		
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	**रिक्त**

अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारीगण

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	1	श्री घनश्याम गुप्ता
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	रिक्त
सहा. प्रशासनिक अधिकारी	1.	श्रीमती मंजू वर्मा
	2.	रिक्त
वरिष्ठ सहायक ग्रेड प्रथम	1	रिक्त
कनिष्ठ सहायक ग्रेड द्वितीय	1	श्री मोहन सिंह
	2	श्री जगमाल सिंह सागर
	3	श्री दीपक कुमार
	4	श्री योगेन्द्र सिंह
प्रयोगशाला सहायक	1	श्री देवी सहाय मीना
	2	श्री मनीष पुरी
	3	विश्वेन्द्र सिंह बेनीवाल
	4	रिक्त
	5	रिक्त
मैकेनिक	1	रिक्त
तबला वादक	1	रिक्त

सहायक कर्मचारीगण

बुक लिफ्टर	1	रिक्त
लैब बियरर	1	रिक्त
	2	रिक्त
	3	रिक्त
	4	रिक्त
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री भजन लाल
	2	श्री यादराम मीना
	3	रिक्त
	4	रिक्त
	5	रिक्त
	6	रिक्त
	7	रिक्त
एनीमल कैचर	1	रिक्त

परिशिष्ट–2

संकाय/विषय समूह बदलने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रारूप

नोटः– संकाय /विषय समूह परिवर्तन प्रवेश नीति के नियमानुसार किया जाना सम्भव है।

सेवा,

प्राचार्य
रामेश्वरी देवी राज. कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर

विषयः– संकाय/विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रार्थना–पत्र

महोदय,

मै..... पुत्री श्री ..... ने कक्षा ..... में सत्र 2022–23 में इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। मेरा वर्ग (सेक्शन)..... है तथा मेरा विषय समूह 1. ..... 2. ..... 3. .... है।

मैं उपरोक्त विषय समूह के स्थान पर विषय समूह (जो लेना है)

.1. ..... 2. ..... 3. .... लेना चाहती हूँ।

धन्यवाद

प्रार्थी

हस्ताक्षर

छात्रा का नाम .....

कक्षा .....

संकाय .....

प्रवेशांक .....

मोबाईल नं0.....

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं (शोध विद्यार्थियों के अलावा) हेतु शैक्षणिक सत्र 2022 -23 के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

Sr. No.	Fee Heads	Sub Fee Heads #	Fee in Rs for all Income groups & categories except PH
1	Govt	ADMISSION FEES	0
2	Govt	TUITION FEES	0
3	Govt	LAB FEE	0
4	Govt	LIBRARY FEES	0
5	Govt	POSTAGE FEE	0
6	OTHER FEES	**COMPUTER EDUCATION FEES***	450
7	OTHER FEES	INSURANCE FEE #	20
8	OTHER FEES	UNIVERSITY GAMES FEE	50
9	OTHER FEES	UNIVERSITY DEVELOPMENT	50
10	OTHER FEES	MAHAVIDYALAY VIKAS SAMITI FEE $	300
14	BOYS FUND	**CAUTION MONEY***	25
15	BOYS FUND	LIBRARY FEE	10
17	BOYS FUND	LIBRARY OPEN SHELF	5
18	BOYS FUND	READING ROOM	100
19	BOYS FUND	COLLEGE MAGAZINE	50
26	BOYS FUND	CULTURAL ACTIVITY	10
27	BOYS FUND	PLANNING FORUM	2
28	BOYS FUND	RANGERING SCOUT GUIDE	10
30	BOYS FUND	ASSOCIATIONS FEE	20
31	BOYS FUND	ECO CLUB	10
39	BOYS FUND	GENERAL PURPOSE FEE	100
40	BOYS FUND	STUDENT HELP FEE	5
42	BOYS FUND	MEDICAL CHECK UP FEE	5
44	BOYS FUND	CAMPUS BEAUTIFICATION CLEANLINESS FEE	5
45	BOYS FUND	IDENTITY CARD FEE	20
46	BOYS FUND	POSTAGE	5
47	BOYS FUND	INTERNAL ASSESSMENT	5
48	BOYS FUND	SUBJECT COUNCIL CAREER COUNCELLING	20
50	BOYS FUND	COLLEGE DEVELOPMENT	100
63	BOYS FUND	STUDENT UNION ACTIVITY FEE	25
67	BOYS FUND	PARKING FEE	25
70	BOYS FUND	GIRLS ASSOCIATION FEE	10
92	BOYS FUND	COLLEGE GAMES FEE	100
			1537

* इनमें से कम्प्यूटर का शुल्क द्वितीय, तृतीय वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों हेतु लागू नहीं है। कॉशन मनी की राशि महाविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में नया प्रवेश ले रहे विद्यार्थी से प्रवेश के वर्ष ली जाएगी।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष योग्यजन हेतु सिर्फ बीमा का शुल्क लागू होगा। अन्य सभी श्रेणियों तथा आय वर्ग हेतु शुल्क उपरोक्तानुसार होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा बीमा शुल्क या अन्य शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क लागू होगा।

$ शोध विद्यार्थियों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त महाविद्यालय के आदेश क्रमांक रा.दे.क.म./2022/मविस/4913-24 दिनांक 24 मई 2022 के अनुसार महाविद्यालय विकास समिति का शुल्क लागू होगा।

SUMMARY

Classes	Fee in Rs for all Income groups & categories
BA/ B Sc / B Com I Year	1537
BA/ B Sc / B Com II Years	1062
BA/ B Sc / B Com III Years	1062
MA Previous	1087
MA Final	1062
Ph D Scholars at the time of admission	1287
Ph D Scholars renewal / Year	1262
PH	0020

शुल्क वापसी के नियम:

महाविद्यालय में शुल्क की वापसी राज्य सरकार एवं नियामक निकायों के नियमों के अंतर्गत ही किया जायेगा। नियामक निकाय प्रवेश तिथि निकल जाने के 30 दिन उपरांत शुल्क की राशि वापसी का प्रावधान नहीं है परन्तु विद्यार्थी चाहे तो आवेदन कर स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रवेश की अंतिम तिथि व्यतीत होने से 30 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करवा लेने की स्थिति में अनुमत सीमा में कटौती करते हुए एवं प्रोसेसिंग शुल्क लेते हुए शेष शुल्क लौटाया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाया गया कॉशनमनी वे महाविद्यालय छोड़ने की तीन वर्ष की अवधि में मूल शुल्क रसीद प्रस्तुत पुनः प्राप्त कर सकते हैं परन्तु यह अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत कॉशनमनी लौटाया नहीं जा सकेगा।

दुर्घटना बीमा योजना :

राजस्थान के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दुर्घटना बीमा हेतु राज्य सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' 2002–03 से संचालित की जा रही है। इस योजना का शुल्क (प्रीमियम) एवं शर्तें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा तय की जाती हैं तथा सत्र 2022–23 में दो लाख रुपये के बीमाधन हेतु इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी से लिया जाता है तथा प्राप्त प्रीमियम की राशि सम्बंधित विभाग को जाती है। दुर्घटना मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की स्थिति में दावे जिलास्तर पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

नैक प्रत्यायनः

महाविद्यालय NAAC नामक राष्ट्रस्तरीय संस्था से एक्रेडिटेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा है। यह संस्था महाविद्यालयों को ग्रेड प्रदान करती है। महाविद्यालय को श्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त हो यह सभी शिक्षकों और छात्राओं के लिए गौरव का विषय होगा तथा भविष्य में भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा। अतः हमें उत्तम ग्रेड प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया हेतु महाविद्यालय से विस्तृत रिपोर्ट NAAC को भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया में छात्राओं से भी NAAC की टीम राय जानेगी जिसके लिए कुछ अंक निर्धारित हैं। इस हेतु ADMNNAAC द्वारा कुछ स्टूडेंट्स को उनके मेल आईडी पर एक फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी उसको ओपन कर आपको फीडबैक फॉर्म भरना होगा , मेल प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर। अतः कल से आप अपनी मेल चेक करते रहें इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर भी। लिंक प्राप्त होने के पश्चात आपको फॉर्म भरकर पहुंचाना है। फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी हो तो आप कालेज में कमरा नं 8 में अथवा मोबाइल पर शिल्पी मैडम, गयावाल सर, कमलेश मैडम / अलका मैडम, रजनी मैडम, कृति मैडम, जगदीश / विमलेश सर से संपर्क कर सकते हैं। आप ऐसी मेल को इग्नोर न करें तथा पूर्ण जवाब प्रेषित करें।

Inflibnet :

Information and Library Network Information and Library Network (INFLIBNET) Centre, Gandhinagar is an Autonomous Inter-University Centre (IUC) of University Grants Commission, New Delhi (Ministry of Education, Govt. of India). It is a major National Programme initiated by the UGC in March 1991 as a project under the IUCAA, it became an independent Inter-University Centre in June 1996. INFLIBNET is involved in modernizing university libraries in India using the state-of-art technologies for the optimum utilisation of information.

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र (IUC) है। 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया यह एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका प्रधान कार्यालय गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के परिसर में है।

इनफ्लिबनेट भारत में विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और सूचना के इष्टतम उपयोग के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए देशव्यापी उच्च गति डेटा नेटवर्क के द्वारा देश में सूचना केंद्रों को जोड़ने में शामिल है। इनफ्लिबनेट भारत में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच विद्वानों के संचार को बढ़ावा देने में एक प्रमुख खिलाड़ी है।

नोटः

यह महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय है अतः इस पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य शिक्षा की प्रवेश नीति लागू है जिसकी घोषणा राज्य के कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। आरक्षण, छात्रवृत्ति, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा आदि से सम्बंधित नियम राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा, अनुमत विषय–संयोजन आदि के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं अतः इन विभागों धनिकायों किये गए कोई भी परिवर्तन स्वतः ही इस महाविद्यालय पर भी लागू होंगे।

शिष्टाचार सम्बन्धी नियमः

- विद्यार्थी अपना परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में श्रेष्ठ आचरण एवं शिष्ट व्यवहार अपेक्षित एवं आवश्यक है।
- महाविद्यालय परिसर में पूर्ण अनुशासन बनाये रखें।
- अनुशासनहीनता के दोषी विद्यार्थियों को दण्डित एवं महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- कक्षाओं में तथा परिसर में शांति बनाए रखना अपेक्षित है। महाविद्यालय में ऊंचे स्वर में बातचीत करना महाविद्यालय और विद्यार्थी के परिवार की गरिमा के प्रतिकूल है। वार्तालाप चाहे विद्यार्थियों के बीच आपस में ही किया जा रहा हो, इसमें शालीन शब्दों का प्रयोग किया जाना तथा अपशब्दों का उपयोग न किया जाना अपेक्षित है।
- विद्यार्थी अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों की सहायता और उत्साहवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहें। स्मरण रखें कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है अतः न तो स्वयं इसमें शामिल हों न ही सहपाठियों को ऐसे दुष्कृत्यों में शामिल होने दें।
- अपने से बड़ों, अपरिचितों, सहपाठी छात्राओं तथा शिक्षकों से वार्तालाप करते समय मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखें।
- विद्यार्थी महाविद्यालय प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना अपने स्तर पर महाविद्यालय परिसर में कोई सभा, संगोष्ठी, अथवा अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्तियों को बिना पूर्वानुमति में आमंत्रित किया जाना निषिद्ध है।
- विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और स्वयं को किसी भी प्रकार की बुरी लत जैसे सिगरेट, तम्बाकू, मदिरा व अन्य नशीले पदार्थों से बचाएंगे तथा अपना समय व ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं न ही किसी अन्य को पहुंचाने दें।

- परीक्षाओं में नकल विश्वविद्यालय के नियमों तथा राजस्थान सरकार के Rajasthan Public EX-amination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992 अनुसार दंडनीय अपराध है अतः परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल करने का प्रयास न करें।
- महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने समाज और शहर के लिए स्वयं को एक आदर्श युवा के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा उसे ऐसा आचरण अपनाना चाहिए जो सर्वत्र प्रशंसनीय व अनुकरणीय हो।
- विद्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महाविद्यालय के शिष्टाचार के अथवा अन्य लागू नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दण्डित किया जा सकता है अतः सभी विद्यार्थी अपना आचरण संयत रखें।

प्रवेश नीति 2022–23 आयुक्तालय वेब साइट

https://hte.rajasthan.gov.in/hteCircular/Admissionpolicy_2022-23.pdf पर उपलब्ध है कृपया अवलोकन करें।

सावधान

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्याओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि 'यदि रैगिंग का कोई प्रकरण महाविद्यालय प्रशासन की नजर में आयेगा तो सम्बन्धित छात्रा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा यदि उसका स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नही पाया गया तो महाविद्यालय प्रशासन छात्रा को संस्था से निष्कासित कर देगा।'

तम्बाकू मुक्त महाविद्यालय

महाविद्यालय में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं सिगरेट एण्ड टोबॉको प्रोडेक्ट एक्ट, 2003 (COTPA) उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर कानून की धारा 4 एवं 6 (ब) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

महत्वपूर्ण निर्देश

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों, स्टाफ मेम्बर्स के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

पाठ्यक्रम, टाइम–टेबल, परीक्षा व्यवस्था आदि के लिये विद्यार्थियों को अनवरत सूचना पट्ट देखते रहना चाहिये। सूचना पट्ट पर प्रसारित सूचना की जानकारी प्राप्त करना उनका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

सभी विवादों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

प्रवेश नियमों एवं महाविद्यालय की सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी महाविद्यालय की वेब साइट **https://hte.rajasthan.gov.in/college/ggcbharatpur** पर उपलब्ध है कृपया अवश्य अवलोकन करें।

Download
ANTI RAGGING
App

SAY NO TO RAGGING

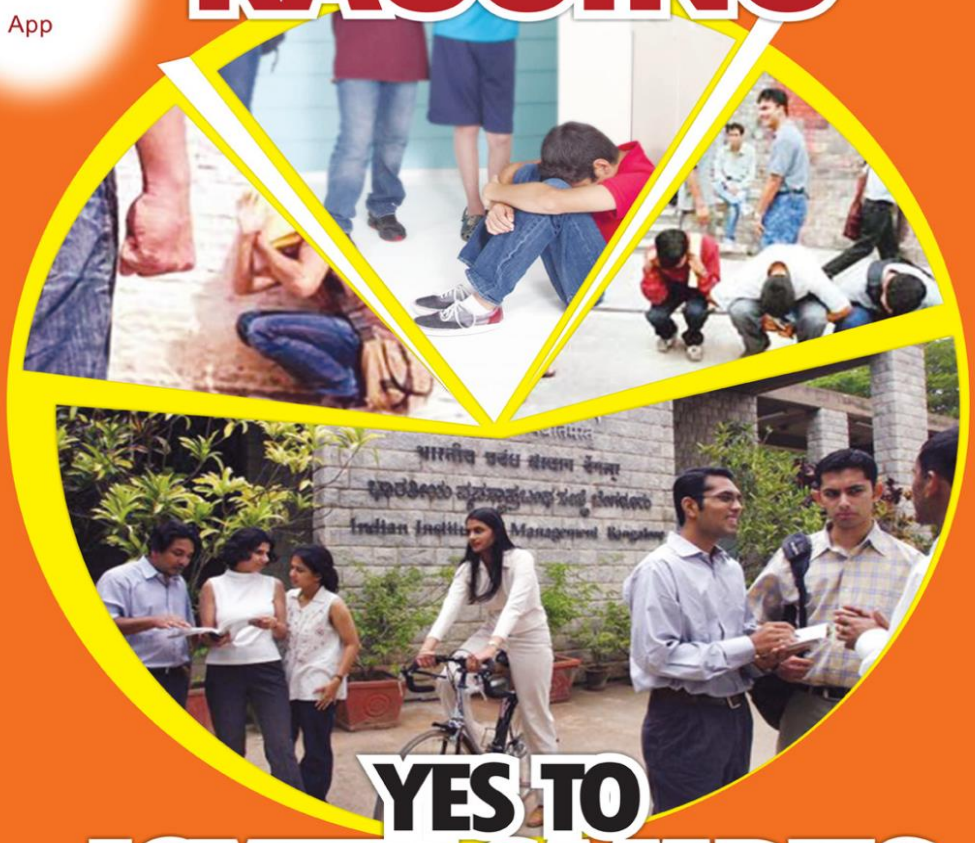

YES TO JOYFUL CAMPUS

What is Ragging?

Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/wrongful Restraint
- Undermining Human Dignity
- Financial Exploitation/extortion
- Use Of Force

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:

- Cancellation of admission.
- Suspension from attending classes.
- Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
- Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- Withholding results.
- Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
- Collective punishment : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.

Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

Printed at JK Offset Graphics Pvt. Ltd.